



पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-१

सोमवार, तिथि 09 आषाढ 1936 (श०)
30 जून, 2014 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 30

(1) गृह विभाग	16
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	08
(3) गन्ना उद्योग विभाग	03
(4) उद्योग विभाग	02
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01

कुल योग — 30

अल्पसंख्यक छात्रावास खोलना

* 1. श्री रामायण माझी—वया मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत गुठनी, आन्दर, दरौली, जीरादई, मैरवा, नवतन प्रखंड अन्तर्गत अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास के अभाव में छात्रों को दूर जाने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो वया सरकार सीवान जिला के गुठनी, आन्दर, दरौली के किसी भी मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास कबतक खोलना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

* 2. श्री गिरिधारी यादव—वया मंत्री, मत्रिमडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बौंका स्थित हवाई अड्डा का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण लगातार अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बौंका स्थित हवाई अड्डा को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम हटाना

* 3. डॉ अच्युतानन्द—वया मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दैशाली जिला के महनार बाजार एवं हाजीपुर शहर के जदुआ चौक में गाड़ियों के गलत पार्किंग एवं सड़कों पर अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सध्या के 8 बजे तक जाम लगा रहता है, जिससे यात्रियों विशेषकर मरीजों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार महनार बाजार एवं हाजीपुर के जदुआ चौक पर से जाम हटाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फड़ का गठन

* 4. श्री राहुल कुमार—वया मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में ही बीमार उद्योगों की मदद के लिये कौरपस फंड बनाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, परन्तु आजतक कौरपस फंड गठन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कौरपस फंड का गठन करने का विचार रखती है ?

पुलिस चौकी की स्थापना

* 5. श्री जवाहर प्रसाद—वया मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम में 51वीं शक्तिपीठ मौं ताराचण्डी धाम मन्दिर अस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मौं ताराचण्डी धाम मन्दिर पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक दर्शन करने आते हैं जहाँ शारती तत्त्वों द्वारा धाम के इर्द-गिर्द पहाड़ी तरफ छिना-झपटी किये जाने के कारण धाम पर पर्यटकों के आयागमन में भारी कमी आयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्थीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ताराचण्डी धाम पर पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 6. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड भितहाँ के मदरसा इस्लामिया रेहहा में 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाई किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में 350 मुस्लिम समुदाय के छात्र एवं छात्रा पठन—पाठन मात्र 2 भवन में करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्थीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हौं, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

भूमि और भवन उपलब्ध कराना

* 7. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गद्युबनी जिला अन्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड स्थित घोघरडीहा थाना को अपना भवन एवं भूमि उपलब्ध नहीं है और यह प्रखंड मुख्यालय स्थित टी०पी०सी० भवन में पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, यदि हौं, तो सरकार कबतक उपर्युक्त वर्गित थाना के लिये भूमि और भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की घोराबंदी

* 8. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के ग्राम—दरूला तथा ग्राम—पधरा में कब्रिस्तान की घोराबंदी नहीं हुई है, यदि हौं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घोराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

गेट लगावाना

* 9. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत भितहाँ प्रखंड के मदरसा इस्लामिया रेहहा विद्यालय में 350 छात्र—छात्राओं पठन—पाठन करते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने के कारण पश्चिम विद्यालय के प्रांगण में चले आते हैं, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को पठन—पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्थीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मदरसा विद्यालय की चहारदीवारी एवं लोहे का गेट लगाने का विचार रखती है, हौं, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

छात्रावास का निर्माण

* 10. श्रीमती गुडडी देवी—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिलान्तर्गत रुनीरीदपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास नहीं है, यदि हौं, तो सरकार रुनीरीदपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

* 11. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अग्रीआव विधान—सभा अन्तर्गत गढ़हनी प्रखंड के गौरा, काउप, मदुरा, बरौड़ा, शिवपुर, एवं चरपोखरी प्रखंड के कोयल, वैदेकोरी, गाँवों में अवस्थित कब्रिस्तान की धेराबंदी आजतक नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की धेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 12. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीधक थाना का भवन काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे कई आवश्यक कागजात वर्षा के पानी से बर्बाद हो गया है, साथ ही पुलिसकर्मियों को रहने में काफी परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माह अगस्त, 2013 में ही पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा थाना भवन काशीधक का निविदा हो चुकी है, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो काशीधक थाना भवन का निर्माण कार्य अभीतक नहीं शुरू किये जाने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

* 13. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य मंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना प्रभागित बीज वितरण कार्यक्रम के तहत सहायक निदेशक, इख विकास बगहा, मोतीहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीधान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहरसा, समस्तीपुर पूर्णिया, जमुई, आरा, भागलपुर, गया एवं पटना को 30,87,50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे जिसके विरुद्ध मात्र 27,55,92,474 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 3,31,57,526 करोड़ रुपये राशि का प्रत्यापेण कर दिया गया यदि ही, तो राशि खर्च नहीं करने का औचित्य क्या है एवं क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कॉन-री कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

चीनी उद्योग लगाना

* 14. श्री रामायण मांझी—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत तीन चीनी मिल स्थापित की गयी थीं जो अभी 1980 से बन्द पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गन्ना युक्त मिट्ठी होने के बावजूद एक भी चीनी मिल चालू नहीं होने के कारण किसानों का आय का स्रोत बन्द हो जाने से भुखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित के लिये सीवान जिलान्तर्गत चीनी उद्योग लगाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

* 15. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अग्रीआव विधान—सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक बच्चों के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है

जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ाई—लिखाई में कठिनाई होती है, यदि हौं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हौं, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

* 16. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कठिनाई जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत मेडुमारा ग्राम पंचायत के भीजा हरि प्रसाद के कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हौं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी का विचार रखती है, अगर हौं, तो कबतक और नहीं, तो क्यों?

भवन का निर्माण

* 17. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तरगत परसरीनी प्रखण्ड में एम०एस०ड०पी० योजना अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य की स्थीरता वर्ष 2013 में दी गई;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य हेतु जमीन भी उपलब्ध करा दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हौं, तो कबतक नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

* 18. श्री रामचन्द्र सहनी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तरगत प्रखण्ड सुगंगीली में भट्टहों पंचायत के खुदा नगर कब्रिस्तान की पक्की धेराबंदी नहीं की गई है, हौं तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हौं, तो कबतक नहीं, तो क्यों?

ट्रैफिक जाम से निजात

* 19. डॉ इजहार अहमद—जंया मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित मुख्यालय में विकित्सा महाविद्यालय, कर्मीशनरी कार्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, दो-दो विश्वविद्यालय, दो बस स्टैंड पर बढ़ते शहरीकरण की वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम रहने से आम जनों को आने-जाने में बड़ी समस्या प्रतिदिन होती रहती है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहता है, यदि हौं तो सरकार जनहित में ट्रैफिक जाम रहने से निजात कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की धेराबंदी

* 20. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तरगत कसबा प्रखण्ड के गुडी पंचायत किशनगंज गुलाबी पहाड़ की कब्रिस्तान की धेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हौं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी करने का विचार रखती है, कबतक नहीं, तो क्यों?

*21. श्रीमती सुनीता सिंह—बया मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतमदी जिला अन्तर्गत हाई स्कूल, बेलसर्ड एवं जनता हाई स्कूल, परसौरामी में एमोएसडीओपी० योजना अन्तर्गत 50 बेट वाले लड़कों का छात्रावास भवन का निर्माण वर्ष 2013 में स्वीकृत होने के बावजूद अभीतक निर्माण कार्य प्रगत्यनहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त लोगों हाई स्कूल के छात्रावास का भवन निर्माण कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखतो हैं, नहीं, तो क्यों?

कार्रवाई करना

*22. डॉ० अच्युतानन्द—ईनिक समाचार-पत्र दिनांक 2 जून, 2014 के अंक में उपी खबर “पूर्वोत्तर जवान करते हैं गौधी सेतु जाम” के आलोक में बया मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रुम्न के पटना गौधी सेतु पर तीव्र पुलिस को लापरवाही एवं रिश्वतखोरी के कारण नियमों को अवहेलना करने से प्रायः जाम लग जाता है, जिससे हजारों यात्री रोज़ धरेश्वर होते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि 10 चक्का वाले लोगों के आवागमन और ओभर ट्रेकिंग के कारण जाम होता है और जिसपर पुलिस के जवान और पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भक्तों नियमों को अवहेलना करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले भ्रष्ट पुलिस जवानों और पदाधिकारीयों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार कबतक रखती है ?

कब्रिस्तान की धेराबदी

*23. श्रीमती गुलजार देवी—बया मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत घोषरदोहा प्रांख्य युख्यालय स्थित विद्यालय कब्रिस्तान की धेराबदी हेतु वर्ष 2006-07 में 5 लाख रुपया आवंटित किया गया था। लेकिन कब्रिस्तान की धेराबदी पूरी नहीं की गई, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबदी सुनिश्चित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

कब्रिस्तान की धेराबदी

*24. डॉ० अब्दुल गफर—बया मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहैरसा जिला के महिंदो प्रांख्य अन्तर्गत सिरवार-विरवार पंचायत के गोपा नाकुच गमरहो कब्रिस्तान की धेराबदी हेतु वर्ष 2011-12 में प्र० ० रुपये 14,20,700 रुपये की स्वीकृति के उपरान्त कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अधिकारी, एमोएसडीओपी० अधिकारी, सहैरसा द्वारा कार्यान्वित कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान धेराबदी कार्य कर्फश-लेवल तक होकर 2 वर्षों से बढ़ रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की धेराबदी के रूपके कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

प्रतिवेदन उपलब्ध कराना

*25. श्रीमती उषा सिंह—बया मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पी दुग्ह इंडस्ट्रीज औद्योगिक प्रांगण पाटलिपुत्र, पटना द्वारा वियाडा के मार्गदर्शिका के कॉडिका 4.5, 4.3 के आलोक में एमोएसडीओपी० बूथ एवं बैंकिंग के कार्य हेतु प्रपत्र “ए”, प्रपत्र “बी” तथा परियोजना प्रतिवेदन वर्ष 2002 में समर्पित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अवर-संचिव, उद्योग विभाग के पत्रांक 4897, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 द्वारा इसकी जांच कर प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश प्रबंध निदेशक, वियाडा को दिया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रबंध निदेशक, वियाडा द्वारा जांच कर प्रतिवेदन सरकार को आजतक नहीं सुर्दू की गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रबंध निदेशक द्वारा जांच प्रतिवेदन सरकार को आजतक उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

*26. श्री रमेशन्द्र महानी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखण्ड सुगौली में 30 मनसिंधा पंचायत अन्तर्गत चमर दिहूली कब्रिस्तान बस्ता को घेरावन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान को घेरावन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंदगाह को घेरावन्दी

*27. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाई प्रखण्ड अन्तर्गत मोहनपुर ग्राम पंचायत के इंदगाह को घेरावन्दी अधिकार नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त इंदगाह को घेरावन्दी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदोवारी का निर्माण

*28. नौ० आकाश अल्लम—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखण्ड के श्रीनगर चौक का ओ०पी० थाना का चहारदोवारी एवं स्टाफ के लिये आवासीय भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० थाना का चहारदोवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाये राशि को बूसली

*29. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पेराई वर्ष 2012-13 में राश्य के सभी चीनी मिलों से क्षेत्रीय विकास कमीशन की कुल राशि 1389.11 करोड बहुली नहीं हो सकी, यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्रीय विकास कमीशन के बकाये राशि को बूसली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

*30. श्री अब्दुल जारी सिंहिकी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत, गज नहरनियाँ के तत्कालीन मुखिया श्री शिव कुमार ठाकुर, एवं पंचायत सचिव श्री बसंत जी द्वारा वर्ष 2010-11 की योजना बी०आर०ज०ए०५० और बारहवाँ वित्त आयोग की राशि में घुत व्यक्ति के नाम पर राशि की निकासी के आरोप में हरलाखी थाना कांड मंडुगा 48/13, दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को दर्ज किया गया है, यदि उपर्युक्त खंड का उचर स्वीकारात्मक है, तो अभीतक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

हरे राम मुखिया,
उभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना:
दिनांक 30 जून, 2014(इ०)